भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. *69

जिसका उत्तर 04.12.2025 को दिया जाना है

चेन्नई-तिरुपति राजमार्ग परियोजना

*69. श्री मड्डीला गुरूमूर्ति:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को आन्ध्र प्रदेश में चल रही 'एक्सेस कंट्रोल्ड' राजमार्ग परियोजना (चेन्नई-तिरुपति पैकेज-II) के साथ-साथ विशेषकर राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच)-716 पर 61+510वें किलोमीटर से 81+540वें किलोमीटर तक तथा राष्ट्रीय राजमार्ग-71 पर 97+100वें किलोमीटर से 114+500वें किलोमीटर तक के बीच अतिरिक्त अवसंरचना के लिए जनता से अभ्यावेदन या मांग प्राप्त हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने हाइब्रिड वार्षिकी पद्धति के अंतर्गत कार्य के वर्तमान दायरे में इन मांगों को शामिल करने की व्यवहार्यता का आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन्हें शामिल करने और इनके कार्यान्वयन के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है;

(ग) यदि नहीं, तो तिरुपति लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में बढ़ती सार्वजनिक आवश्यकता के बावजूद इन्हें शामिल न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार समान सुलभता और सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इन सार्वजनिक अवसंरचना संबंधी मांगों को पूरा करने के लिए रियायतग्राही को निदेश देगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री
(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (घ) विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

"चेन्नई-तिरुपति राजमार्ग परियोजना" के संबंध में श्री मड्डीला गुरूमूर्ति द्वारा **पूछे गए दिनांक 04.12.2025 के लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. *69 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण**

(क) जी, हां। चेन्नई-तिरुपति पैकेज-II के साथ अतिरिक्त सुविधाओं का अनुरोध करने वाले संसद सदस्य और अन्य जनप्रतिनिधियों से प्राप्त अभ्यावेदनों/मांगों का विवरण **अनुलग्नक-क** में दिया गया है।

(ख) से (घ) स्थानीय सड़क प्रयोक्ताओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए, प्रवेश / निकास, वाहन अंडरपास (वीयूपी), आदि के प्रावधानों के साथ राजमार्ग के दोनों ओर सर्विस रोड़ उपलब्ध कराई जाती है। प्रवेश/निकास, वीयूपी और उपलब्ध कराई गई अन्य सुविधाओं के स्थानों का विवरण **अनुलग्नक-ख** में है।

पहुंच-नियंत्रित राजमार्ग में थोड़ी-थोड़ी दूरी पर प्रवेश/निकास बिंदुओं के प्रावधान से सुरक्षा के खतरे उत्पन्न होंगे और यातायात दक्षता कम होगी। इसलिए, अतिरिक्त प्रवेश / निकास प्रस्तावित नहीं है।

बगैर प्रवेश/निकास के वीयूपी से संबंधित मांगों के लिए, किमी 110+500 के पास वीयूपी उपलब्ध कराने की व्यवहार्यता का पता लगाया जा रहा है (परियोजना में पहले से किए गए प्रावधानों के मद्देनजर अन्य स्थानों को संभव नहीं पाया गया था)।

अनुलग्नक-क

"चेन्नई-तिरुपति राजमार्ग परियोजना" के संबंध में श्री मड्डीला गुरूमूर्ति द्वारा पूछे गए दिनांक 04.12.2025 के लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. *69 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में तिरुपति-चेन्नई पैकेज-II में अतिरिक्त सुविधाओं का अनुरोध करने वाले संसद सदस्यों / जन प्रतिनिधियों से प्राप्त अभ्यावेदनों का विवरण

क्र.सं.	**अनुरोध का विवरण**	**की गई कार्रवाई/ वर्तमान स्थिति**
1	2	3
एनएच-716 के किमी 61+510 - किमी 81+540		
1	तीर्थयात्रियों के लिए साईं बाबा मंदिर तक पहुंचने के लिए यू-टर्न/ज़ेबरा क्रॉसिंग (किमी 72+200)	परियोजना के मौजूदा दायरे में, किमी 71+900 पर एलवीयूपी प्रस्तावित है, जो दोनों तरफ सर्विस रोड से जुड़ा है। इसलिए, इसका इस्तेमाल यू-टर्न सुविधा के लिए किया जा सकता है।
2	सरकारी अस्पताल, नागरी, फायर स्टेशन, साईं बाबा मंदिर, हरिता टूरिज्म रिसॉर्ट तक जाने के लिए मुख्य कैरिजवे से सर्विस रोड तक सीधा रास्ता (किमी 71+900)	किमी 71+900 पर एलवीयूपी प्रस्तावित है, जो दोनों तरफ सर्विस रोड से जुड़ा है। पहुंच नियंत्रित राजमार्ग होने के कारण, मुख्य कैरिजवे से सर्विस रोड तक सीधा रास्ता उपलब्ध कराना तकनीकी रूप से व्यवहार्य नहीं है, क्योंकि इससे सड़क प्रयोक्ताओं के लिए सुरक्षा का खतरा हो सकता है और यातायात की दक्षता कम हो जाएगी। इसलिए, नए प्रवेश / निकास व्यवहार्य नहीं है।
एनएच-71 के किमी 97+100 - किमी 114+500		
3	स्थानीय जनता द्वारा आसानी से पार करने के लिए किमी 110+500 (इंदिरम्मा हाउसिंग कॉलोनी) और किमी 111+100 (टीयूडीए मास्टर प्लान रोड क्रॉसिंग) पर वीयूपी	किमी 110+500 के पास अतिरिक्त वीयूपी (बिना प्रवेश / निकास के) उपलब्ध कराया जाएगा।
4	1. किमी 111+700 पर वीयूपी	किमी 110+500 के पास अतिरिक्त वीयूपी (बिना प्रवेश / निकास के) उपलब्ध कराने की व्यवहार्यता का पता लगाया जा रहा है।

5	तीर्थयात्रियों के मौजूदा वीयूपी के माध्यम से गरुड़वाराधि फ्लाईओवर तक पहुंचने के लिए किमी 107+400 पर प्रवेश-निकास	अनुरोध किए गए स्थानों पर प्रवेश / निकास उपलब्ध कराना तकनीकी रूप से व्यवहार्य नहीं है। किमी 105+175 पर उपलब्ध कराए गए प्रवेश / निकास का इस्तेमाल मुख्य कैरिजवे तक पहुंचने के लिए किया जा सकता है।
6	किमी 109+075 पर तिरुपति जिला कलेक्टर के कार्यालय के पास प्रवेश / निकास रैंप ।	अनुरोध किए गए स्थानों पर प्रवेश / निकास उपलब्ध कराना तकनीकी रूप से व्यवहार्य नहीं है। किमी 105+175 पर उपलब्ध कराए गए प्रवेश / निकास का इस्तेमाल मुख्य कैरिजवे तक पहुंचने के लिए किया जा सकता है।

अनुलग्नक-ख

"चेन्नई-तिरुपति राजमार्ग परियोजना" के संबंध में श्री मड्डीला गुरुमूर्ति द्वारा पूछे गए दिनांक 04.12.2025 के लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. *69 के भाग (ख) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

तिरुपति चेन्नई पहुंच नियंत्रित राजमार्ग पैकेज II		
प्रवेश / निकास के स्थान, क्रॉसिंग संरचनाएं		
क्र.सं.	**चैनेज**	**प्रवेश और निकास का स्थान**
खंड-I : एनएच-716 के किमी 61+510 से किमी 81+540 तक		
1	किमी 64+305	तड्कु और वीकेआर पुरम गांव
2	किमी 66+815	नेथनकंद्रिगा गांव
3	किमी 81+540	पुत्तूर गाँव
खंड II : एनएच-71 के किमी 97+100 से किमी 114+500 तक		
4	चित्तूर की ओर (किमी 0+300)	थोंडावडा गाँव
5	किमी 98+305	मल्लावरम गाँव
6	किमी 103+135	अविलाला गाँव
7	किमी 105+175	वेदांत पुरम गाँव
8	रेनिगुंटा की ओर (किमी 1+300)	एलामंड्यम
9	चेन्नई की ओर (किमी 114+500)	थुकिवाकम
ग्रेड सेपरेटेड संरचनाओं के स्थान		
क्र.सं.	**संरचना का प्रकार**	**स्थान**
खंड-I : एनएच-716 के किमी 61+510 से किमी 81+540 तक		
1	वीयूपी - 2	किमी 67+758 और किमी 69+867
2	एलवीयूपी - 4	किमी 62+900, किमी 65+000, किमी 71+880 और किमी 77+223
3	फ्लाईओवर - 1	किमी 68+907
4	वीओपी - 1	किमी 75+020
खंड II : एनएच-71 के किमी 97+100 से किमी 114+500 तक		
1	वीयूपी - 2	किमी 99+645 और किमी 102+200
2	एलवीयूपी - 2	किमी 106+800 और किमी 108+570
3	एसवीयूपी - 1	किमी 97+186
4	फ्लाईओवर - 3	किमी 97+100, किमी 103+965 और किमी 114+425

*****